T.D.R. रा० से जाँच रिपोर्ट अप्राप्त

स्मरणपत्र II जारी किया गया

T.D.R. से पालना रिपोर्ट प्राप्त दि० 26.2.24

राजस्थान सरकार

(कायदा -- 129)

जनरल रूल्स सिविल रूल्स 129 अपेन्डेंक्स फार्म नंबर 8 के
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बिजौलिया जिला – भीलवाड़ा (राज.)

2023/8

किस्म मुकदमा 1	नंबर मुकदमा 2	तारीख दायर 3	तारीख फैसला 4	पेशी दिनांक 5
131.136	63/2023	13.4.2023		20.4.23 23.5.23 PV 8.6.23 20.6.23 27.6.23 6.7.23 13.7.23 10.8.23 14.9.23 19.10.23 26.10.23 14.12.23 28.12.23 4.1.24 22.2.24 31/7/24 08/8/24

अनवान

श्री ग्रामविकास पंचायत धरेड़ा मार्फत सरपंच राजेशकुमार धाकड़   श्री तहसीलदार बिजौलियाँ

निवासी ....   निवासी ....

अधिवक्ता वादी / प्रार्थी / अपीलान्ट   अधिवक्ता प्रतिवादी / विपक्षी / रेस्पोंडेंट

गिरधारीलाल आचार्य

डिक्रीदार   मदयून

श्री ....   श्री ....

APP- A
Crim-5

FORM NO. III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

जज अदालत उपखण्ड बिजौलिया मुकाम बिजौलिया

ग्राम विकास पंचायत धड़ांदा बनाम TDR, बिजौलिया

किस्म मुकदमा 131-136 नं. 08/23 वर्ष

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13/4/23	प्रार्थना पत्र स्टॉफ से बाद जांच पेश हुआ। वकील वादी उपस्थित। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जरिये नोटिस मय नकल प्रार्थना पत्र भेज दी जावें। पत्रावली दिनांक 20/4/23 को पेश हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा	
20/4/23	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी एवं पैरोकार सरकार उपस्थित। प्रतिवादी तहसीलदार का जवाब अप्राप्त। तहसीलदार बिजौलियाँ को उक्त प्रकरण के संबंध में जांच रिपोर्ट [redacted] पेश करने हेतु लिखा जाकर पत्रावली आगामी दिनांक 23/5/2023 को पेश हो। [signature]	
23/5/23	पत्रावली पेश हुई। ~~अभिभाषक वादी / प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् पी.ओ. सा. दौरे पर है।~~ प्रात्रावली दिनांक 08-6-23 को वास्ते जांच रिपोर्ट पर आदेश हेतु पेश हो। [signature] उप खण्ड अधिकारी	
8/6/23	पत्रावली पेश हुई। तहसीलदार बिजौलियाँ से जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। जिसे शामिल पत्रावली किया गया। जांच रिपोर्ट अपूर्ण एवं अस्पष्ट है। अतः स्पष्ट जांच रिपोर्ट एवं आवश्यक दस्तावेज, नक्शा हेतु तहसीलदार बिजौलिया को पुनः लिखा जाकर पत्रावली वास्ते स्पष्ट रिपोर्ट के आगामी सुनवाई दिनांक 20/6/2023 को पेश हो। [signature]	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहकाम हुक्म की तामील में जारी हुए
20/6/23	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी एवं पैरोकार सरकार उपस्थित। तहसीलदार बिजौलिया से जांच रिपोर्ट अप्राप्त। पत्रावली वास्ते जांच रिपोर्ट दिनांक 27/06/23 को पेश हो।	
27/06/23	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी एवं पैरोकार सरकार उपस्थित। तहसीलदार बिजौलिया से जांच रिपोर्ट अप्राप्त। पत्रावली वास्ते जांच रिपोर्ट दिनांक 06/07/23 को पेश हो। उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा	
6/7/23	पत्रावली पेश हुइ। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर हैं। पत्रावली दिनांक 13/7/23 को वास्ते जांच R. पेश हो। उप खण्ड अधिकारी	
13/7/23	पत्रावली पेश हुइ। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर हैं। पत्रावली दिनांक 10/8/23 को वास्ते जांच रिपोर्ट पेश हो। उप खण्ड अधिकारी	
10/8/23	पत्रावली पेश हुइ। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर हैं। पत्रावली दिनांक 14/9/23 को वास्ते जांच रि पेश हो। उप खण्ड अधिकारी	
14/9/23	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। पत्रावली वास्ते जांच रिपोर्ट दिनांक 19/10/23 को पेश हो।	
19/10/23	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। पत्रावली वास्ते जांच रिपोर्ट दिनांक 26/10/23 को पेश हो। उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा	

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
26/10/23	पत्रावली पेश हुइ। अभिभाषक वादी / प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर हैं। प्रात्रावली दिनांक 14/12/23 को वास्ते जांच रि. पेश हो। उप खण्ड अधिकारी	
14/12/23	पत्रावली पेश हुइ। अभिभाषक वादी / प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर हैं। प्रात्रावली दिनांक 28/12/23 को वास्ते जांच रि. पेश हो। उप खण्ड अधिकारी	
28/12/23	पत्रावली पेश हुइ। अभिभाषक वादी / प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर हैं। प्रात्रावली दिनांक 4/1/24 को वास्ते जांच रि. पेश हो। उप खण्ड अधिकारी	
4/1/24	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। पत्रावली वास्ते जांच रिपोर्ट दिनांक 08/2/24 को पेश हो। उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा	
8/2/24	पत्रावली पेश हुइ। अभिभाषक वादी / प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर हैं। प्रात्रावली दिनांक 7/3/24 को वास्ते जांच रि. पेश हो। उप खण्ड अधिकारी	
7/3/24	पत्रावली पेश हुइ। अभिभाषक वादी / प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर हैं। प्रात्रावली दिनांक 4/4/24 को वास्ते जांच रि. पेश हो। उप खण्ड अधिकारी	
4/4/24	पत्रावली पेश हुइ। अभिभाषक वादी / प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर हैं। प्रात्रावली दिनांक 9/5/24 को वास्ते जांच रि. पेश हो। उप खण्ड अधिकारी	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व अहकाम हुक्म ... में जारी
9/5/24	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर हैं। प्रात्रावली दिनांक 6/6/24 को वास्ते जांच रि. पेश हो। उप खण्ड अधिकारी	
6/6/24	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर हैं। प्रात्रावली दिनांक 27/6/24 को वास्ते जांच रि. पेश हो। उप खण्ड अधिकारी	
27/6/24	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर हैं। प्रात्रावली दिनांक 18/7/24 को वास्ते जांच रि. पेश हो। उप खण्ड अधिकारी	
18/7/24	पत्रावली पेश हुई तहसीलदार बिजौलिया से जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली वास्ते उचित आदेश आगामी दिनांक 31/7/24 को पेश हो।	
31.7.24	पत्रावली पेश हुई। पत्रावली में आदेश पृथक से विस्तृत लिखवाया गया एवं खुले न्यायालय में सुनाए गए। तहसीलदार बिजौलिया को पालनार्थ तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा	

सेवामें,
श्रीमान
न्या

ग्राम विकास
जाति धाकड़
(राज0)

तहसीलदार

प्रार्थना प

महोदय ज

है :-

01.

02

0

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी : – श्रीमान अजीत सिंह राठौड़ (RAS) उपखण्ड अधिकारी

प्रार्थनापत्र संख्या :– 63/2023 दायर तारीख 13/04/2023

अनवान

ग्राम विकास पंचायत थड़ोदा मार्फत सरपंच राजेश कुमार पुत्र बंशीलाल जाति धाकड़ उम्र बालिग निवासी थड़ोदा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज0)।

..........प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार मार्फत भूमिधारी जरिये तहसीलदार बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)।

.... विपक्षी

उपस्थित :– 1. श्री गिरधारीलाल आचार्य – अधिवक्ता प्रार्थी।
2. पैरोकार सरकार

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 131–136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

–: निर्णय :–

दिनांक 03/07/2024

प्रार्थनापत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री गिरधारीलाल आचार्य ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत **धारा 131–136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम** के तहत विरूद्ध विपक्षी प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा ग्राम जावदा प0ह0 जावदा तहसील बिजौलियां में स्थित बिलानाम राजकीय भूमि खसरा संख्या 153 जिसका रकबा 133 बीघा 12 बिस्वां था जिसमें से 05 बीघा भूमि राजकीय विद्यालय को जिलाधीश महोदय के आदेश से दी गयी। जिसका नामान्तकरण संख्या 105 दिनांक 30.04.1983 को खोला गया । जिसकी तरमीम राजस्व नक्शे में हो रखी है। जिसका नम्बर 765/153 हैं। आराजी खसरा संख्या नं0 153 के शेष बचे रकबे में से 4 बीघा 10 बिस्वां आवंटन कन्हैयालाल पुत्र ऊंकार धाकड़ को किया। जिसका नामान्तकरण संख्या 113 को दिनांक 29.041983 को खोला गया। जिसकी तरमीम खसरा संख्या 770/153 से की नक्शा ट्रेस में की गयी। श्रीमान जिलाधीश महोदय के आदेश से बिलानाम भूमि खसरा संख्या 153 में 7 बीघा 14 बिस्वां आबादी के लिए दी गयी। जिसका नामान्तकरण क्रमांक 153 दिनांक 20.12.1985 को खोला गया। जिसका कब्जा पंचायत को दिया गया। किन्तु बटा नम्बर नही डाला गया। यह पंचायत को दी गयी भूमि जावदा ग्राम की और जाने वाली सडक से सटी हुई हैं। आराजी संख्या 153 में 4 बीघा 03 बिस्वां भूमि सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आरक्षित थी जिसे जिलाधीश महोदय के आदेश ग्राम जावदा की आबादी विस्तार के लिए दी गयी। किन्तु नक्शा ट्रेस में इस की तरमीम नही की गयी। गाम पंचायत थडोदा ने जिलाधीश महोदय भीलवाड़ा के आदेश आबादी भूमि से विधिवत पंचायत अधिनियम के तहत कार्यवाही करते हुए पट्टे दे दिये पट्टेधारियो को पट्टे अनुसार भूखण्डो की निशानदेही कर कब्जे संभला दिये वर्तमान पट्टेधारी वर्ष 2004 से काबिज चले आ रहे हैं। पंचायत द्वारा भूखण्ड काटने का प्लान बनाकर भूखण्डो को दिये जाने बाबत् कार्यवाही कर पट्टे जारी किये। नक्शे पंचायत आबादी भूमि का नक्शा ट्रेस में तरमीम नही होने से कारण विवाद होते रहते है कि चारागाह भूमि में पंचायत ने भूखण्ड काट पट्टे दे दिये। जबकि पंचायत को आबादी भूमि उपलब्ध करवायी गयी उसमें प्लान अनुसार पट्टे दिये। नक्शा ट्रेस के खसरा नम्बर 153 में जब भूखण्ड धारियो को पट्टे दिये व कब्जा दिया गया। उसकी तरमीम राजस्व नक्शे में करवाया जाना विधि सम्मत है ताकि अनावश्यक विवाद नही हो और पट्टेधारी शान्तिपूर्वक बिना विवाद पट्टा भूखण्डो का उपयोग कर सके। आबादी भूमि ग्राम जावदा में जिलाधीश महोदय द्वारा आबादी हेतु प्रदान की गयी भूमि की तरमीम नक्शा ट्रेस कराये जाने का आदेश प्रदान फरमावें।

लगातार पेज संख्या 02 पर

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी की तलबी जरिये नोटिस मय नकल प्रार्थना पत्र जारी करवायी गई।

तहसीलदार बिजौलियां के पत्रांक/राजस्व/2023/745 दिनांक 01.06.2023 एवं पत्रांक/राजस्व/2024/277 दिनांक 23.02.2024 से प्राप्त रिपोर्ट में अंकित किया कि प्रकरण संख्या 63/2023 के संबंध में वर्तमान ऑनलाईन नक्शा व पुरानी जमाबन्दी की नकले जिसमें ग्राम जावदा के खसरा 131, 153, 262 व 350 का अमल किया गया संलग्न हैं।

वर्तमान जमाबन्दी में चरागाह आ.नं. 806/773 का रकबा 18.6560 है0 दर्ज रेकॉर्ड हैं (115.05 बीघा) नक्शे में 17.4096 है0 की ही तरमीम हो रखी है। अर्थात 1.2464 है0 भूमि (7.14 बीघा) की तरमीम कम पड रही है।

आ.नं. 153 की वर्तमान नक्शे में 11 बीघा 17 बिस्वा (1.9182 है0) भूमि की तरमीम हो रखी हैं।

मौके पर आ.नं. 153 रकबा 4.03 बीघा भूमि पर 4 बाडे बने हुए हैं जिनकी दीवार कई जगह से ढसी हुई है, जिनके नाम निम्न हैं 1. लक्ष्मण पिता हीरालाल धाकड़ सा. जावदा, 2. मदन पिता हीरालाल धाकड़ सा. जावदा, 3. सरजू देवी पत्नी नानालाल धाकड़ सा. जावदा, 4. ऊंकार, शंकरलाल, रामलाल, लालु पिता कजोड मीणा सा. जावदा लगभग 2 बीघा जमीन खाली पडी हुई हैं।

संशोधित तरमीम करने पर पट्टाधारियो व कब्जेधारियो के बीच विवाद की स्थिति हो सकती हैं क्योकि कब्जा किसी का हो पट्टा किसी अन्य ने बनवा लिया हो। पटटे संबन्धी जानकारी ग्राम पंचायत थडोदा से अपेक्षित है।

आराजी नं0 153 (आबादी) में हो रखी अधिक तरमीम को पुनः चरागाह में दर्ज करने पर चारागाह का रकबा वर्तमान जमाबन्दी के मुकाबले सही हो जायेगा।

आराजी नं0 153 में से जो रकबा अब चारागाह मे शामिल किया जायेगा, उस पर किसी प्रकार का अतिक्रमण नही है। मौके पर जमीन खाली पडी हुई है। चरागाह के ही उपयोग में आ रही हैं। कुछ भू–भाग पर नरेगा के तहत नाडी बनी हुई है।

संशोधन हेतु प्रस्तावित तरमीम नक्शे में लाल स्याही से दर्शायी गयी है। तहसीलदार बिजौलियां की रिपोर्ट, ऑनलाईन नक्शा ट्रेस, वर्तमान जमाबन्दी नकल व पुरानी नकले, नक्शा ट्रेस व पट्टे की फोटोप्रतियां संलग्न की हैं

अधिवक्ता प्रार्थी ने दस्तावेज के साथ नकल नामान्तकरण, तहसीलदार महोदय आदेश की फोटो प्रति, नक्शा ट्रेस की फोटो प्रति, आदेश उपखण्ड अधिकारी की फोटो प्रति संलग्न की है।

बहस अधिवक्ता प्रार्थी एवं अधिवक्ता विपक्षी की सुनी गई पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अधिवक्ता प्रार्थी ने बहस में बताया कि प्रार्थी की मौजा ग्राम जावदा में आराजी नं0 153 में जिलाधीश महोदय द्वारा आबादी हेतु प्रदान की गयी भूमि की तरमीम नक्शा ट्रेस कराये जाने का आदेश प्रदान फरमावें।

पैरोकार सरकार स्वयं ने बहस में बताया कि वर्तमान जमाबन्दी में चरागाह आ.नं. 806/773 का रकबा 18.6560 है0 दर्ज रेकॉर्ड हैं (115.05 बीघा) नक्शे में 17.4096 है0 की ही तरमीम हो रखी है। अर्थात 1.2464 है0 भूमि (7.14 बीघा) की तरमीम कम पड रही हैं। आ.नं. 153 की वर्तमान नक्शे में 11 बीघा 17 बिस्वा (1.9182 है0) भूमि की तरमीम हो रखी हैं। मौके पर आ.नं. 153 रकबा 4.03 बीघा भूमि पर 4 बाडे बने हुए हैं जिनकी दीवार कई जगह से ढसी हुई है, जिनके नाम निम्न हैं 1. लक्ष्मण पिता हीरालाल धाकड़

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

सा. जावदा, 2. मदन पिता हीरालाल धाकड़ सा. जावदा, 3. सरजू देवी पत्नी नानालाल धाकड़ सा. जावदा, 4. ऊंकार, शंकरलाल, रामलाल, लालु पिता कजोड मीणा सा. जावदा लगभग 2 बीघा जमीन खाली पडी हुई हैं। संशोधित तरमीम करने पर पट्टाधारियो व कब्जेधारियो के बीच विवाद की स्थिति हो सकती हैं क्योकि कब्जा किसी का हो पट्टा किसी अन्य ने बनवा लिया हो। पटटे संबन्धी जानकारी ग्राम पंचायत डोदा से अपेक्षित है। आराजी नं0 153 (आबादी) में हो रखी अधिक तरमीम को पुनः चरागाह में दर्ज करने पर चारागाह का रकबा वर्तमान जमाबन्दी के मुकाबले सही हो जायेगा। आराजी नं0 153 में से जो रकबा अब चारागाह मे शामिल किया जायेगा, उस पर किसी प्रकार का अतिक्रमण नही है। मौके पर जमीन खाली पडी हुई है। चरागाह के ही उपयोग में आ रही हैं। कुछ भू–भाग पर नरेगा के तहत नाडी बनी हुई है।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन एवं पैरोकार सरकार के जवाब पर मनन किया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

–: आदेश :–

अतः ग्राम जावदा प0ह0 जावदा के ज माबंदी में अंकित खसरा नम्बर 153 रकबा 0.6718 हैक्टर भूमि (4.03 बीघा भूमि) किस्म गै. मु. आबादी की राजस्व नक्शे में अंकित तरमीम जो कि जमाबंदी में अंकित क्षेत्रफल के मुकाबले अधिक है, जिसे राजस्व नक्शे में, संलग्न नक्शा ट्रैस (प्रस्तावित तरमीम) अनुसार तरमीम शुद्ध किये जाने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत **धारा 131–136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम** 1956 स्वीकार किया जाता है। पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियां को लिखा जावें।

निर्णय आज दिनांक 31 /07/2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय सुनवाया गया ।

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ (भीलवाड़ा)

(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी, बिजौलियां
उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा